न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : पंकज शर्मा
(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 262 / 2023 (GCMS No. 2023 / 133)

दलीप सिंह पुत्र बन्ने सिंह जाति राजपूत निवासी ख्याली तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं।

– प्रार्थी

बनाम

1. कुन्दन सिंह पुत्र मलसिंह जाति राजपूत निवासी ख्याली तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मलसीसर जिला झुझुनूं।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

वकील प्रार्थी –श्री संदीप सिंह राठौड़
वकील अप्रार्थी – श्री हरिप्रसाद

निर्णय

दिनांक 17.12.2024

संक्षेप मे आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम ख्याली पटवार हल्का बाडेट की सरहद में भूमि ख.न. 116 रकबा 0.88 हैक्टर अवस्थित है जो प्रार्थी की खातेदारी काश्तकारी की भूमि है। जिस पर प्रार्थी अपने दर्ज हिस्से मुताबिक काबिज काश्त है। उक्त भूमि में आने जाने का रास्ता ख0न0 115 से होकर ख्याली से ढ़ाणी चारण को जाने वाली सड़क से मिलता है। उक्त रास्ता आवेदक पिढ़ियों से अपने काश्त की भूमि में आने जाने के लिये उपभोग करता रहा है। परन्तु राजस्व रिकार्ड में उक्त रास्ता कटानी नही होने के कारण ख0न0 115 के खातेदार अनावेदक संख्या 1 ने माह मई में उक्त रास्ता बंद कर दिया। उक्त रास्ते के अलावा आवेदक की खातेदारी में आने जाने का अन्य कोई कटानी रास्ता नहीं है। उक्त रास्ता बंद करने पर रास्ता खुलवाने हेतु तहसीलदार मलसीसर से निवेदन करने पर तहसीलदार मलसीसर ने कोई कार्यवाही नहीं कर न्यायालय श्रीमान के समक्ष आवेदन करने को कहा। इसलिये प्रार्थी को नजरी नक्शा में दर्शित बिन्दु ए से बी तक का रास्ता राजस्व रिकार्ड में लाल स्याही से अंकित कर राजस्व रिकार्ड में कटानी दर्ज कर दिलवाया जाना न्यायोचित है। अन्त में प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवेदक को ख0न0 115 से आवेदन के साथ वर्णित नजरी नक्शे अनुसार मार्क ए से बी तक रास्ता कटानी दर्ज कर दिलवाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदकगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो उतर देने के लिए निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर जवाब पेश करने हेतु पाबन्द किया गया।

साथ ही तहसीलदार मलसीसर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के प्रावधानों के तहत मौका जांच कर रिपोर्ट चाही गई। अनावेदक संख्या 1 की ओर से एडवोकेट हरिप्रसाद ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि ख0न0 119 में प्रचलित रास्ता है जो मौके पर मौजुद है अप्रार्थी के खेत ख0न0 115 में कभी कोई रास्ता नहीं रहा। ख0न0 119 से होकर प्रचलित रास्ता आगे ख0न0 117 से होकर ख्याली गांव की रोही में चला जाता है। उक्त रास्ता कदीमी व प्रचलित चला आ रहा है। आवेदक अपने खेत में इसी प्रचलित रास्ता से होकर आता जाता है आवेदक से पहले से कदीमी व प्रचलित रास्ता होने से सुविधा के आधार पर नया रास्ता नहीं दिया जा सकता है। इसलिये आवेदक का आवेदन मय हर्जा खर्चा खारीज फरमाया जावे।

तहसीलदार मलसीसर ने अपने पत्र क्रमांक 1675 दिनांक 20.11.2024 से अपनी मौका रिपोर्ट प्रेषित की गई। तहसीलदार मलसीसर ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि आवेदक की भूमि में पहुंच हेतु सलंग्न नक्शा ट्रेस के अनुसार ख0न0 119 से होकर जाने वाला रास्ता, जो राजस्व रिकार्ड में कटानी या डोटेड रूप से दर्ज नहीं है, लगभग 17 मीटर की दूरी पर स्थित है जबकि आवेदक द्वारा चाहा गया रास्ता 138 मीटर की दूरी पर है।

जवाब देही पूर्ण होने पर बहस विद्वान अधिवक्ता श्रवण की गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि आवेदक अपने खेत में अपने पूर्वजों के समय से ही खेत ख0न0 115 से चाहे गये रास्ते से आता जाता रहा है परन्तु अब अनावेदक द्वारा उक्त रास्ता बंद कर दिया है इसलिये उक्त रास्ता रास्ता रिकार्ड में कटानी दर्ज करने का आदेश दिया जावे। वकील अनावेदक ने दौराने बहस कथन किया कि आवेदक के खेत में आने जाने के लिये पूर्व से ख0न0 119 से प्रचलित रास्ता मौजुद है जो वर्तमान में चालु है। आवेदक अपने खेत में उसी रास्ते से आता जाता रहा है। अप्रार्थी के खेत ख0न0 115 में से कभी कोई रास्ता नहीं रहा इस बात की पुष्टि तहसीलदार की रिपोर्ट से होती है। इसलिये आवेदक द्वारा चाहा गया रास्ता सुविधाजनक उपभोग के लिये चाहा गया है जो नियमानुसार नहीं है इसलिये आवेदक का आवेदन खारीज किया जावे।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251क के नियम 1(ख) में स्पट है कि "कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतो तक पहूंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारीत या चौड़ा करना चाहता है" – और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि –

1. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और
2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहूंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सींमाकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लधुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भाग को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नय मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों, तहसीलदार की मौका रिपोर्ट एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में प्रार्थी की ओर से अपनी खातेदारी काश्तकारी भूमि ख0न0 116 में आने जाने हेतु ख0न0 115 में नजरी नक्शे में दर्शित मार्क A से B तक रास्ता चाहा गया है। तहसीलदार मलसीसर की रिपोर्ट के अनुसार आवेदक को रास्ते की आवश्यकता है। आवेदक की भूमि में पहुंच हेतु ख0न0 119 से होकर जाने वाले रास्ते से 17 मीटर दूरी पर है परन्तु उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में कटानी अथवा डोटेड दर्ज नहीं है। आवेदक द्वारा चाहा गया रास्ता कटानी या डोटेड रास्ता में लघुतम है। इसलिये आवेदक द्वारा चाहा गया रास्ता दिया जाना उचित है। तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रथम दृष्टया यह तो स्पष्ट है कि ख0न0 119 में से होकर प्रचलित रास्ता गुजरता है परन्तु उक्त प्रचलित रास्ता राजस्व रिकार्ड में ना ही कटानी दर्ज है ना ही डोटेड दर्ज है इसलिये उक्त रास्ते में से आवेदक को रास्ता दिया जाने से भविष्य में विवाद रहने की पूर्ण संभावना है। अतः तमाम साक्ष्य सबूतों, तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी को खेत खसरा नम्बर 116 में आने–जाने के लिये खेत खसरा 115 की सीमा के सहारे–सहारे 12 फुट चौड़ा रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है तहसीलदार मलसीसर को निर्देशित किया जाता है कि ख0न0 115 में से रास्ते में आने वाली भूमि के बदले डी.एल.सी. का दो गुणा राशि आवेदक से वसूल कर ख0न0 115 के खातेदार को दी जाकर राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता कायम किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर